

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 16, मंगलवार, शाके 1947- जनवरी 06, 2026 Pausa 16, Tuesday, Saka 1947- January 06, 2026	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 17, 2025

संख्या एफ14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- 111/00294 :- समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 25) की धारा-7 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित अधिसूचनाओं की निरन्तरता में, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित क्षेत्र के लिए उप-धारा (1) के खण्ड (क) व (ख) में वर्णित शिकायतें एवं दावे सुनने व निर्णय देने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है:-

क्र.सं. अधिकारी
है

जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता

1	सहायक श्रम आयुक्त, कुचामन-डीडवाना	कुचामन-डीडवाना जिला
2	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	ब्यावर जिला
3	सहायक श्रम आयुक्त, बाड़मेर	बाड़मेर जिला
4	सहायक श्रम आयुक्त, बालोतरा	बालोतरा जिला
5	श्रम कल्याण अधिकारी, फलोदी	फलोदी जिला
6	सहायक श्रम आयुक्त, कोटपूतली-बहरोड़	कोटपूतली-बहरोड़ जिला
7	उप श्रम आयुक्त, खैरथल-तिजारा	खैरथल-तिजारा जिला
8	सहायक श्रम आयुक्त, अलवर	अलवर जिला
9	सहायक श्रम आयुक्त, राजसमंन्द	राजसमंन्द जिला
10	श्रम कल्याण अधिकारी, सलूमबर	सलूमबर जिला
11	श्रम कल्याण अधिकारी, डीग	डीग जिला

राज्यपाल के आदेश से,
धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्तशासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।